

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

संकाय १५ व्यावरा कुलपति नामी
विभागीय संचालन के तह पर्याय जारी ह
में निम्नी अन्वयिकारी के तह पर
विभागीय विषय पर यह एक तथा एक
विभाग द्वारा तो यह क्षमता पर मिला
अन्वयिकारी के विभाग आयोग है।



नाम : गोपीनाथ
दृष्टान्त : (0751) 2341026
(0751) 2442529
फ़ॉक्स : (0751) 2341758

धैर्य :

कुलसाहित,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

प्राप्तिक्रम/सम्बन्धता/2012/ ५९०२

दिनांक: २५/०१/१३

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, व्यावरा के लकड़ी गोदामारम कॉलेज ऑफ नर्सिंग, व्यावरा (0751-4065818) ने तब 2011-12 के लिये प्रत्यापित-संचालित पोर्ट एंट्रिक बी.एड-सी. (बर्सिंग) पाठ्यक्रम कक्षा पाठ्यक्रमों पर्यायों की अस्थायी सम्बन्धता हेतु अनुशंसारे प्रबल गर्व से तो लिये मानवीय कुलपति महालय/व्यावरा संभिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, व्यावरा विष्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिवर्तन 27(10) के अन्वानीत निम्नानुसार विरीक्षण समिति का नज़ार किया है :

- (1) प्रो. ए.के. हल्के, आगार्य, रसायन अध्ययनशाला, जी.वि.वि., व्यावरा। (संयोजक) (0751-2442769)
- (2) डॉ. सुखदा शर्मा, प्राचार्य, जी.आई.एम.आर. कॉलेज ऑफ नर्सिंग, व्यावरा।
- (3) डॉ.ए.न. गोवर्धनी, अधिकारी, महाविद्यालयीन विषय परिषद, जी.वि.वि. व्यावरा।

विरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिवर्तन 27/28 के प्राचार्यों के अनुरूप मताविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर सक्त, गोपीनाथ विषय, बाइबल शैक्षणिक/अधैशासिक टर्मेन, पाठ्यक्रम संभाल से प्राप्त अनुभावी/अनापाती प्रकाश-पत्र, शब्द, ग्रन्ड एवं संक्षिप्त एवं पाठ्यक्रम/अधिक्षिका तथा पिछले तत्त्व गैरि गई शर्तों की पूर्ति यह प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं असेक्युरिटी स्ट्रॉक की नियुक्तियों का प्रमाण एवं गोपीनाथ के बारे में स्पष्ट कियारण/अनुशंसारे अधिकत करें।

स्वामी नामित वी विषय दिनांक 26 दिसंबर 2012 के एवं क्रमांक 60 (अ-अ-2) पर लिये गये विरीक्षालयार विरीक्षण रागिति द्वारा 30 दिन में गताविद्यालय का विरीक्षण कर 15 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय ने विरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावें। जिससे कि सम्पूर्ण कार्यालयी (मताविद्यालय विरीक्षण की) 45 दिवस में गूर्ह हो सकेंगी एवं गताविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा नी जाने गाली अस्थायी सम्बद्धता ने विलम्ब वर्ती गोपा एवं वया उमर सम्बन्धता संबंधी कार्यालयी पूर्ण तो गोपीनाथ भासन के विषेशों का यात्रा सुविधित किया जा सकेगा।

गोपीनाथ के 45 दिवस में Report पापा न होने की स्थिति में वह गाजा जाएगा कि मताविद्यालय का विरीक्षण नहीं हुआ है। विश्वविद्यालय अवैधत जगा करावर वरीन समिति गरित की जायेगी। जिसे 15 दिवस में विरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अविवार्य होगा। परिवर्तन 27(1)(7) के अनुसार गतवद्धा प्राप्त किए विवा धार्वा को प्रेष देवा अवैधात्रिक है।

विरीक्षण समिति के साथ सम्बन्धता शाखा में कार्यालयी अधीक्षक / कार्यालय उपायक प्रचाराली लेक्यु जायेंगे तथा गताविद्यालय की वस्तुतियों से विरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। विरीक्षण रागिति के सदस्यों को दीए / दीए / मानदेव मताविद्यालय द्वारा देव होंगा।

गुलसविव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यालयी हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित मताविद्यालय की ओर भेजकर आवश्यक है कि समिति के संयोजक एवं संपर्क समिति का विरीक्षण दिनांक लियार्दा कर मताविद्यालय का विरीक्षण करायें। उक्त विरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था हो।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, लालूपुरा भवन, भोपाल
4. कुलपति के संवित / कुलसाहित के विवा सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, व्यावरा।

उपायक कुलसाहित (सम्बन्धता)